न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर (जयपुर)

फर्द अहकाम

प्रजापति बनाम प्रहलाद

नाम न्यायालय

केस संख्या 160/22 TR

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	1-12-2022	पत्रावली प्रस्तुत। व० क० उप०। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 7-12-2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर
	7-12-2022	पत्रावली प्रस्तुत। व० क० उप०। पत्रावली वास्ते आदेश 8-12-2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर
	8-12-2022	पत्रावली प्रस्तुत। व० क० उप०। समयाभाव के कारण आदेश जारी नहीं किये जा सके अतः पत्रावली वास्ते आदेश प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु दिनांक 12-12-2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर
	12-12-2022	पत्रावली प्रस्तुत। व० क० उप०। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

प्रकरण संख्या – 100 / 2022
बउनवानी प्रभाती बनाम प्रहलाद वगै.
निर्णय दिनांक – 12.12.2022

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील शर्मा
आर.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या 100 / 2022 निर्णय दिनांक : 12.12.2022

1. प्रभाती पत्नी स्व0 जगन्नाथ (मृतक)
2. सरदार पुत्र स्व० जगन्नाथ
3. गीता देवी धर्मपत्नी स्व0 बाबूलाल
4. अरूण कुमार पुत्र बाबूलाल (नाबालिग)
5. पवन कुमार पुत्र बाबूलाल (नाबालिग)
6. निशा पुत्री बाबूलाल (नाबालिग)
7. मजूं पुत्री बाबूलाल (नाबालिग)

   जरिये प्राकृतिक संरक्षिका भाता श्रीमती गीता देवी पत्नी बाबूलाल
8. सोहन पुत्र स्व0 जगन्नाथ
9. मोहन पुत्र स्व0 जगन्नाथ

   समस्त जाति मीणा निवासीयान मोटू का बास तहसील आमेर जिला जयपुर।

..... प्रार्थी

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र नानगराम
2. ओमप्रकाश पुत्र नानगराम

   जाति मीणा निवासीयान पता– 2 / 223 विधाद्यर नगर जयपुर
3. तहसीलदार तहीसल आमेर जिला जयपुर।
4. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुरै
5. उप तहसीलदार रामपुरा डाबडी आमेर जिला जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :– (1) अधिवक्ता श्री एस.एस सुण्डा – प्रार्थीगण की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री दिनेश पारीक – अप्रार्थी संख्या – 1, 2 की ओर से

दिनांकः–12.12.2022

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया हैं कि प्रार्थीगण के खिलाफ एक वाद बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 /वादीगण ने पेश कर रखा है जिसमे अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 वादी है । बंटवारे के दावे मे हर पक्ष वादी प्रतिवादी वादी होता है। अप्रार्थीगण सं01 व 2 ने प्रार्थीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय हाजा में उक्त उनवानी दावा बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वर्ष 2014 में प्रस्तुत किया था जिसमे अप्रार्थी सं0 1 व 2/वादीगण ने राजस्व केम्प कोर्ट लोक अदालत में माननीय न्यायालय से तथ्य छिपाते हुए गैरकानूनी रूप से विचाराधीन प्रकरण लम्बित रहते हुए एकतरफा में आदेश व निर्णय पारित करवा लिया जिसकी प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी महोदय जयपुर (राज०) में अपील प्रस्तुत की गयी और दौराने अपील अप्रार्थीगण सं0–1 व 2/ वादीगण ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना भी करली तथा माननीय राजस्व अपील अधिकारी महोदय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश व निर्णय दिनांक 14–9–2017 व 21–6–2017 को निरस्त फरमा करके अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर दोनो पक्षो की सुनवायी कर निर्णय पारित करने का आदेश दिया गया था जो प्रकरण रिमाण्ड होकर माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। जिसमें कोई अप्रार्थीगण सं0 1 व 2/ वादीगण द्वारा स्थगन आवेदन नही दिया गया था। परंतु अब अप्रार्थीगण सं0 1 व 2/ वादीगण निर्माण कार्य कर रहे है। राजस्व ग्राम मोटू का बास तहसील आमेर जिला जयपुर (राजस्थान) स्थित आराजीयात भूमि खसरा नम्बर 157 रकबा 0.26 हैक्टयर व खसरा नम्बर 918/157 रकबा 0.06 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थीगण का भी हक हिस्सा निहित है। उपरोक्त वर्णित भूमि मे राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण खातेदार दर्ज है और राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त

सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर

निरंतर चले आ रहे है और अपने हिस्से अनुसार राजस्व लगान अदा करते चले आ रहे है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण सं0 1 व 2/वादीगण दौराने अपील श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी महोदय जयपुर (राजस्थान) के अप्रार्थीगण सं० 1 व 2/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की कम्पलाइन्स भी करवाली जो माननीय राजस्व अपील अधिकारी महोदय जयपुर (राज०) द्वारा निरस्त फरमादी गयी । दिनांक 25–09–2022 को अप्रार्थी सं0– 1 व 2/वादीगण ने कुछ भूमाफिया व्यक्तियो को लेकर विवादग्रस्त भूमि पर आये तथा भूमि को विक्रय हस्तांतरण हेतु वार्तालाप करने लगे जिस पर प्रार्थीगण द्वारा भूमि पर आने का कारण पूछने पर अप्रार्थीगण सं0 1 व 2/ वादीगण द्वारा प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल कर भूमि पर कब्जा करने, भूमि को खुर्द बुर्द करने की एलानिया धमकी दी। प्रार्थीगण की पुश्तेनी व पुरातन भूमि है जिससे बेदखल करने की धमकी दी जिस कारण प्रार्थीगण को यह आवेदन पेश करना आवश्यक हुआ। अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 द्वारा वाद प्रस्तुत करते समय अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया था। अभी हाल ही में दिनांक 25–09–2022 को अप्रार्थीगण सं0 1 व 2/वादीगण ने खसरा नम्बर 157 रकबा 0.26 हैक्टयर व खसरा नम्बर 918/ 157 रकबा 0.06 हैक्टयर स्थित है। प्रार्थीगण सं0 1 लगायत 10 की पुश्तेनी व पुरातन जमीन स्थित है जिसको अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 / वादीगण ने बेदखल करने की धमकी दी और जबरन कब्जा करने पर आमादा है जिससे प्रार्थीगण को वाद कारण उत्पन्न हुआ जो निरंतर जारी है । उपरोक्त वर्णित तथ्यो व परिस्थितियों के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रथमदृष्टया प्रकरण व तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलन है। मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को वांछित निषेधाज्ञा से पाबंद नही किये जाने पर अप्रार्थीगण वाद अधीन भूमि को विक्रय हस्तांतरण एवं खुर्द बुर्द करने व भूमि पर निर्माण करने में सफल हो जायेगे और प्रार्थीगण को बाहुबल के आधार पर बेदखल कर देगे। जिससे वाद की बाहुलता होगी तो न्याय व न्यायालय का अतिरिक्त भार बढेगा तथा प्रार्थीगण को अनेको मुकदमो का सामना करना पडेगा जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसकी भरपायी नही की जा सकेगी।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

निस्तारण तक अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रार्थना पत्र की मद सं0 4 मे उल्लेखित राजस्व ग्राम मोटू का बास तहसील आमेर जिला जयपुर (राज०) स्थित भूमि खसरा नं० 157, 918/157 जिसकी प्रार्थीगण की पुश्तेनी भूमि के उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करे, तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग, कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी, हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट, मदाखलत, मजाहमत, निर्माण ना करे, इत्यादि करने से निषेध रहे तथा अपने परिवारजनो, एजेन्ट, प्रतिनिधि, सर्वेन्ट, कर्मचारी इत्यादि को भी निषेध रखे । तथा खाम एवं पुख्ता निर्माण नही करे तथा राजस्व रिकार्ड मे एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे ।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमे अंकित किया कि उक्त भूमि पर आज भी कृषि भूमि के रूप में काबिज चला आ रहा है। जवाबकर्ता द्वारा जब सूचना के अधिकार में कॉपरेटिव विभाग द्वारा मालूम किया गया तो उसे जानकारी हुई कि प्रार्थना पत्र देयन्दा 1 लगायत 10 द्वारा उक्त भूमि को अपने हिस्से की भूमि भैरव निर्माण सोसायटी को विक्रय कर दी एवं उक्त भूमि पर सोसायटी द्वारा राधा गोविन्द वाटिका द्वितीय के नाम से विख्यात कॉलोनी के पटटे काट दिये गए। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि को सोसायटी को बैचान करने के पश्चात जब कोई भूमि शेष ही नही रही है। अप्रार्थीगण द्वारा जब सूचना के अधिकार कानून के तहत रजिस्ट्रार कार्यालय से सूचना मांगी गई तो जानकारी हुई की उक्त अप्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 177, 158, 159, 157, 157/732 की 157/679, की भूमि सोसायटी को जरिये इकरारनामा ट्रांसफर कर दी। जवाब देयन्दा द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 02.12.2019 के विरूद्ध नजर सानी (रिव्यू) प्रार्थना पत्र लगा रखा है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 01.12.2022 नियुक्ति है एवं न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जो नोटिस जारी किये गए उसकी जानकारी उसे न हो सकी अपितु वह तो इस भ्रम में रहा की उसने रिव्यू कर दी। उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 157 नम्बर की .32 हैक्टेयर भूमि मे से 6 हैक्टेयर भी रोड मे भूमि अवाप्ति

सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर

अधिकारी द्वारा अधिग्रहण कर वादी एवं प्रतिवादी दोनो को हिस्से अनुसार मुआवजा प्राप्त हो गया है। खसरा नम्बर 157 भूमि अवाप्ति के बाद शेष बचे भाग में अप्रार्थीगण 00668 हैक्टेयर भूमि उसके पश्चात शेष भूमि सोसायटी द्वारा प्रार्थीगण से खरीद ली गई एवं प्रार्थीगण प्रभाती देवी व अन्य की कोई भूमि ही शेष नही रही । अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र जिसमें अन्तरिम आदेश प्रदान किया गया है उसे खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी द्वारा दस्तावेजों की सूची जिसमें सूचना के अधिकार के तहत राधागोविन्द वाटिका 2 मोठू का बास से संबंधित छायाप्रति, भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा निर्णय की छायाप्रति, नक्शा सोसायटी की छायाप्रति, नकल छायाप्रति हाल जमाबंदी मय राजस्व नक्शा पेश किया।

विद्वान उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए हैं। हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस व प्रस्तुत दस्तावेजों पर मनन किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सूचना के अधिकार के तहत राधागोविन्द वाटिका 2 मोठू का बास से संबंधित छायाप्रति, भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा निर्णय की छायाप्रति, नक्शा सोसायटी की छायाप्रति से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा, प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत कथन, विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में टीआई प्रार्थना पत्र में अभिवचन विरोधाभासी है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजातों का खंडन प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार नहीं किया गया। फलस्वरूप उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बनना प्रतीत नहीं होता है प्रार्थी के पक्ष अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही करने की स्थिति में अपूरणीय क्षति होने की पूरी संभावना नही है। फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर